

करने का अवसर प्राप्त है, अवसर दिया जाता है।  
पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी से दिनांक 3-12-25  
को पेश होना

3-12-25

कमिश्नर 21/12/25

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित प्रकरण  
में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी गवाहके शपथ  
पत्र पेश किये जिसकी प्रतिवकील वादी को दि गई तो  
वकील वादी ने शपथ पत्र को प्रति लेने से इंकार करते  
हुए निवेदन किया कि न्यायालय जो उचित समझे आदेश  
करे। मे प्रकरण में अपनी उपस्थिति नहीं दूंगा। इसपर  
न्यायालय से वादी गण को न्यायालय में बार बार बजावों  
लगाई गई किन्तु सूचना के बावजूद उपस्थित  
नहीं हुए हैं प्रकरण दिनांक 5-6-2018 को दर्ज रजिस्ट्रार  
होकर आज दिनांक तक विचाराधिन है प्रकरण  
लगभग 7 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निस्तारण  
उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में विघ्न  
किया जाना है। प्रकरण में वादी गण के उपस्थित  
नहीं होने से वाद वादी गण का अ. धा. 88-53 R.T.A  
का अदम हाजरी अदम पैरवी से खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फाइल शुमार होकर नम्बर से कम हो

21-12-25

21-12-25

21-12-25

21-12-25